


५
२२२

पत्रावली प्रेश हुई। वकिल चाही अनुप पत्रावली
 के अवलोकन से जाहिर है कि वकिल चाही
 को प्रतीवाही अ 3 से 4 की तबदी बाहरी मर
 डाक से किये जाने हेतु पीए सभान प्रवचुनी
 के लिये वर्र अम 9 से कर अर्था निर्देश दिये
 जाने के बावजूद कोर्टनांक तक पीए सभान
 प्रेश नही किये गये है। इस प्रकार चाही
 कार्यवाही न्यायालय कोर्टनांक की पालना करने
 में असमर्थ रहे है, तथा कोर्ट की इस
 हेतु पीए सभान प्रवचुनी के लिये हाजिर नही
 है। लिहाजा चाही कोर्टनांक परकी / कोर्ट
 हाजरी व अर्र के कोर्टनांक 9 नियम 2 के
 प्रोविजनो अनुसार अकारिण किया जाता है। पत्रावली
 मध्य अगार लेकर नंबर से कर लो।


 उपलब्ध अधिकारी
 बाली, जिला-बाली (राज.)